सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 76/2015

1. मनीराम पुत्र नत्थूराम जाति नाई निवासी ठाकरी तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील रायसिंहनर

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1.श्री पी.डी. सोनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांक :–05.01.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट को आवंटन अधिकारी एवं उपजिलाधीश रायसिंहनगर द्वारा जरिये आवंटन आदेश दिनांक 14.10.2017 के चक 31 एन पी ठण्डी का मु.न. 75 का 16 बीघा नहरी व 7 बीघा 5 बिस्वा बारानी अलाट किया गया था, जिसके सम्बन्ध में आवंटन आदेश कमांक 6744/24.10.2017 जारी किया गया। उपरोक्त रकबा निरन्तर आज तक अपीलांट के कब्जा में चला आ रहा है। अपीलांट निरन्तर मामला जमा करवा रहा है, चालान व रसीदात एवं पहचान पत्र की प्रति शामिल है। दिनांक 12.10.2015 को पटवारी हल्का से मिलकर रकबा जमाबन्दी की नकल लेने पर रकबा राज दर्ज होने के कारण अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि इन्तकाल तो पहले ही खारिज हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रकबा का मिलान नहीं होता इसलिए इंतकाल खारिज किया जाता है कतई गलत है इंतकाल के खाना नम्बर 3 मे यह स्पष्ट है कि गत 75 हाल मु.न. 12 दर्ज है तथा जमाबन्दी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है में भी मु0न0 12 ही दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रकबा का मिलान पूरी तरह से हो रहा है। इस प्रकार आई. एल.आर. की गलत रिपोर्ट पर आदेश जेर अपील पारित किया गया है। इंतकाल के खाना नम्बर 7 में पूर्व में रकबा सर्वोदय सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि0 के नाम दर्ज होना आवश्यक है तथा आवंटन आदेश कमांक 6744/24.10.2017 से रकबा अलाट होने का दर्ज किया गया है जबकि आवंटन आदेश में भी यही कमांक दर्ज है। इस प्रकार रकबा का मिलान ना होना किसी प्रकार से मानने योग्य नहीं है। रकबा की कीमत भी अपीलांट द्वारा विभिन्न चालानों से जमा करवा रखी है तथा इन चालानों में आवंटन आदेश पर जो कम संख्या 22/127 दर्ज है वही चालान नम्बर पर ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि रकबा अलाट हुआ उसी की राशि जमा करवायी गई है। आई.एल.आर. ने दिनांक 23.05.1989 को रिपोर्ट की तथा उसी रोज इंतकाल जेर अपील पारित कर दिया गया इससे यह स्पष्ट है कि कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपनायी वरना एक ही रोज में इंतकाल खारिज करने का आदेश देना

C.A 12/1/18

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कतई सम्भव नहीं हो सकता। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील जो कि खारिज करने का आदेश दिया गया है को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट बहस सुनी गई। अधिवक्त अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट जरिये आवंटन आदेश दिनांक 14.10.2017 के चक 31 एन पी ठण्डी का मु.न. 75 का 16 बीघा नहरी व 7 बीघा 5 बिस्वा बारानी अलाट किया गया था, जिसके सम्बन्ध में आवंटन आदेश कमांक 6744/24.10.2017 जारी किया गया। उपरोक्त रकबा निरन्तर आज तक अपीलांट के कब्जा में चला आ रहा है। दिनांक 12.10.2015 को पटवारी हल्का से मिलकर रकबा जमाबन्दी की नकल लेने पर रकबा राज दर्ज होने के कारण अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि इन्तकाल तो पहले ही खारिज हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रकबा का मिलान नहीं होता इसलिए इंतकाल खारिज किया जाता है कतई गलत है इंतकाल के खाना नम्बर 3 मे यह स्पष्ट है कि गत 75 हाल मु.न. 12 दर्ज है तथा जमाबन्दी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है में भी मु0न0 12 ही दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रकबा का मिलान पूरी तरह से हो रहा है। इस प्रकार आई. एल.आर. की गलत रिपोर्ट पर आदेश जेर अपील पारित किया गया है। इंतकाल के खाना नम्बर 7 में पूर्व में रकबा सर्वोदय सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि0 के नाम दर्ज होना आवश्यक है तथा आवंटन आदेश कमांक 6744/24.10.2017 से रकबा अलाट होने का दर्ज किया गया है जबकि आवंटन आदेश में भी यही कमांक दर्ज है। इस प्रकार रकबा का मिलान ना होना किसी प्रकार से मानने योग्य नहीं है। रकबा की कीमत भी अपीलांट द्वारा विभिन्न चालानों से जमा करवा रखी है तथा इन चालानों में आवंटन आदेश पर जो कम संख्या 22/127 दर्ज है वही चालान नम्बर पर ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि रकबा अलाट हुआ उसी की राशि जमा करवायी गई है। आई.एल.आर. ने दिनांक 23.05.1989 को रिपोर्ट की तथा उसी राज इंतकाल जेर अपील पारित कर दिया गया इससे यह स्पष्ट है कि कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपनायी वरना एक ही रोज में इंतकाल खारिज करने का आदेश देना कतई सम्भव नहीं हो सकता। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील जो कि खारिज करने का आदेश दिया गया है को निरस्त करते हुए अपीलांट के नाम से अलाटशुदा/ कब्जा काश्त के रकबा का इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को आवंटी भूमि सर्वोदय कृषि सहकारी समिति लि0 चक 39 एन.पी. की है जो उपजिलाधीश महोदय के आदेश कमांक 6744/24.10.77 द्वारा पुख्ता आवंटित हुई थी। अगर अपीलार्थी सोसायटी का सदस्य नही है तो वह आवंटन का पात्र नही है। सोसायटी का सदस्य होने पर ही आवंटन का अधिकारी है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट को उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश कमांक 6744 दिनांक 24.10.1977 द्वारा पुख्ता आवंटन की गई थी। उक्त भूमि सात सोसायटीयों को श्रीगंगा जिला कलक्टर महोदय ,श्रीगंगानगर द्वारा आदेश कमांक/दिनांक 20.03.1959 द्वारा एक वर्षीय टी.सी. पर काश्त के लिये दिया गया था, जो कि कृषि सहकारी समितियों को भूमि आवंटन नियम 1959 के प्रावधानों के तहत 25 वर्षीय लीज पर कभी भी आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 1977 से राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1956 के तहत पात्र मानकर सोसायटी के सदस्यों एवं भूमिहीनों को आरक्षित मूल्य पर भूमि का समय–समय पर आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायसिंहनगर द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया है। यह प्रकरण भी इनमें से एक है। चूंकि आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन मुताबिक अभिलेख अभी तक बरकरार एवं प्रभावी है लिहाजा उक्त आदेश का अमल दरामद नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। नायब तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 06 / 23.05.1989 को यह अंकित करते हुए खारिज किया है कि " रिपोर्ट आई.एल.आर. रकबा का मिलान नहीं होता अतः इन्तकाल खारिज हो।" यह कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट / अभिशंषा पर भू–आवंटन किया जाता है, इसलिए नामांतरकरण केवल मात्र उपरोक्त टिप्पणी से खारिज कर देना आवंटी के साथ न्याय नहीं है। राजस्व अधिकारी को बाद जांच आवंटन आदेश अनुसार अमल दरामद करना चाहिए था या आवंटन अधिकारी से इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश लेने थे परन्तु ऐसा होना नहीं पाया गया। पटवारी द्वारा की गई टिप्पणी के संदर्भ में भी कोई मत अंकित नहीं किया गया है लिहाजा नामांतरकरण को खारिज किये जाने का कोई विधि सम्मत युक्तियुक्त कारणों को दर्शाते आदेश नहीं दिया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह बाद आवश्यक एवं सम्यक जांच आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण खोलकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/01/18

(नखतदान बारहठ)

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन)

श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)